

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

सं०-15/आरोप (पटना) 02-26/2026- (15)/रा०, पटना-15, दिनांक-.....

श्री रजनीकान्त, (कोटि क्रमांक-396/24), अंचल अधिकारी, पटना सदर, पटना द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के दिनांक-10.03.2026 के समृद्धि यात्रा में व्यवधान पैदा करने, सरकार की नीतियों के विरुद्ध समाचार पत्रों/प्रेस/Social Media में बिना अनुमति के आलोचना करने, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा निर्गत पत्रों के विरुद्ध वक्तव्य देने, सहकर्मियों को सरकारी नीतियों के विरुद्ध भड़काने, मुख्य सचिव, बिहार के पत्रांक-83 दिनांक-09.01.2026 के आदेशों का उल्लंघन करने, उच्च अधिकारियों के आदेशों का पालन नहीं करने, भारत की जनगणना-2027 के कार्यों को अवरुद्ध करने, विधान मंडलीय बजट सत्र के दौरान हड़ताल पर रहने एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 के राजस्व लक्ष्य प्राप्ति को बाधित करने जैसे आरोप गठित है।

2. उक्त आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं०-375(15) दिनांक-18.03.2026 द्वारा श्री रजनीकान्त को निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय-आयुक्त कार्यालय, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ निर्धारित किया गया है।

3. आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया।

4. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री रजनीकान्त के विरुद्ध गठित आरोप पत्र में अंकित आरोपों की सम्यक जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-17(2) के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की जाती है।

5. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्ता, पूर्णियाँ को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा जाँच/संचालन पदाधिकारी के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करने हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, पूर्णियाँ सदर को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

6. श्री रजनीकान्त से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, स्वयं उपस्थित रहेंगे।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समाहर्ता, पूर्णियाँ/अपर समाहर्ता, पूर्णियाँ/भूमि सुधार उप समाहर्ता, पूर्णियाँ सदर/श्री रजनीकान्त, तत्कालीन अंचल अधिकारी, पटना सदर सम्प्रति निलंबित मुख्यालय-आयुक्त कार्यालय, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-15/आरोप (पटना) 02-26/2026-.....(15)/रा0, पटना-15, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ/समाहर्ता, पटना एवं पूर्णियाँ/भूमि सुधार उप
समाहर्ता, पूर्णियाँ सदर/श्री रजनीकान्त, तत्कालीन अंचल अधिकारी, पटना सदर सम्प्रति निर्लंबित
मुख्यालय-आयुक्त कार्यालय, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ को आरोप पत्र की छायाप्रति सहित
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।

ह0/-

(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-15/आरोप (पटना) 02-26/2026-.....(15)/रा0, पटना-15, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- अपर समाहर्ता, पूर्णियाँ को अभिलेख की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. निदेशित किया जाता है कि विभागीय कार्यवाही अविलम्ब प्रारम्भ करते हुए
जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित तीन प्रतियों में 06 माह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया
जाए।


अनु0- आरोप पत्र की छायाप्रति (साक्ष्य सहित)।

ह0/-

(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-15/आरोप (पटना) 02-26/2026-⁴⁰⁶.....(15)/रा0, पटना-15, दिनांक-^{20.03.2026}.....

प्रतिलिपि:- माननीय उपमुख्यमंत्री-सह-विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के
आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी, कनीय प्रभारी पदाधिकारी,
प्रशाखा-3/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वे0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना (मूल प्रति)/आई0टी0
मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।